R-2048. I/15 (जबलपुर)

पुनरीक्षणकर्तागण /अनावेदकगण : कुन्दन पासी व अन्य

विरूद्ध

उत्तरवादीगण/आवेदकगण : चुन्नीलाल पासी व अन्य

आवेदन पत्र वास्ते प्रकरण मे शीघ्र सुनवाई किये जाने बावत् ।

पुनरीक्षणकर्तागण/अनावेदकगण माननीय न्यायालय से निम्न कथन कर प्रार्थना करते है :-

1. यह कि पुनरीक्षणकर्तागण द्वारा एक रिवीजन धारा 50 म.प्र. भू- राजस्व संहिता 1959 के अंतर्गत माननीय न्यायालय के समक्ष पेश की है साथ ही एक आवेदन धारा 52 म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 के अंतर्गत पेश किया गया है
2. यह कि पुनरीक्षणकर्तागणो ने दिनांक 04.06.2015 के आदेश के क्रियांवयन पर रोक लगाये जाने बावत् आवेदन धारा 52 के अतर्गत पेश किया है ।
3. यह कि पुनरीक्षणकर्तागण धारा 52 के आवेदन पत्र पर शीघ्र सुनवाई करवाना चाहते है क्योकि माननीय न्यायालय तहसीलदार जबलपुर के समक्ष पुनरीक्षणकर्तागणो को आज दिनांक 25.06.2015 को उत्तर वादीगणो के द्वारा प्रस्तुत मूल आवेदन का जबाव पेश करने हेतु निदेर्शित किया है यदि न्यायालय द्वारा धारा 50 के आवेदन पर शीघ्र सुनवाई नही की जाती तो प्रकरण में अनावश्यक विवाद की स्थिति उत्पन्न होने की सम्भावना है । जिस बावत् यह आवेदन पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष पेश है ।

प्रार्थना

अतः माननीय न्यायालय के प्रार्थना है कि प्रकरण मे उत्पन्न परिस्थितियो को देखते हुये धारा 52 के आवेदन पर शीघ्र सुनवाई किये जाने की कृपा करे ।

जबलपुर

दिनांक 25/6/15

अधिवक्ता वास्ते

पुनरीक्षणकर्तागण

(2)

R 2048 I/11 - लखनऊ

X

28.1.16	आवेदक अधिवक्ता श्री विवेक पाण्डेय उप० उनके द्वारा प्रकरण को चल न किये जाने के आधार पर समाप्त किये जाने का अनुरोध किया। उनका अनुरोध मान्य करते हुए प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। सदस्य	प्रकरण में आगे न [illegible] के कारण [illegible] किया जाय 28/1/16

B